MOTION RE JOINT COMMITTEE TO CONSIDER QUESTION OF FURTHER AMENITIES AND FACILITIES TO MEMBERS OF PARLIAMENT

MR. CHAIRMAN: Further discussion on the motion moved toy Dr. Ram Subhag Singh. Mr. Rajnarain.

SHRI OM MEHTA (Jammu and Kashmir): Sir, he has already spoken for 20 minutes.

MR. CHAIRMAN: I was told that he has to finish. You will please finish in five minutes.

[THE VICE CHAIRMAN SHRI M. P. BHARGAVA (IN THE CHAIR)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Yes, Mr. Rajnarain.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, कल जब इस पर चर्चा हो रही थी और मैं अपने विद्वान मित्र श्री भूपेश गुप्त के लम्बे भाषण को सुन चुका था तो आवश्यकता नहीं थी कि इस पर ज्यादा और समय लिया जाय ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : सही बात है ।

श्री राजनारायण : मगर मैं यह देख रहा था कि श्री भूपेश गुप्त जी ने भी कुछ ऐसे सुझाव दिये जिन सुझावों से अपना टकराव होता है क्योंकि हम किसी भी प्रश्न को हल करना चाहते हैं तो हमें उसकी बुनियाद पर जाना पड़ेगा । हमारा मूल प्रश्न क्या है । इस समय हमारे लिये मूल प्रश्न है कि संसद के सम्मानित सदस्यों को आज जितनी सहूलियत और सुविधायें मिल रही हैं उससे ज्यादा उनको मिलनी चाहिये और उससे ज्यादा सहूलियत, सुविधा, भत्ता वगैरह पाने के लिये एक कमेटी बन रही है जो कमेटी इस पर विचार करेगी कि इनको कितना दिया जाना चाहिये । आज मैं इस मनोवृत्ति पर कुठाराघात करना चाहता हूं जिस मनोवृत्ति से प्रभावित हो कर के ऐसा सुझाव लोगों ने दिया और कुछ लोगों के मन में यह भावना आई कि अब संसद के सदस्यों को अपनी सहूलियत और अपनी सुविधा के लिये ज्यादा लेना चाहिये । अगर भाई राम सुभग सिंह जी, जिनकी मैं इज्जत करता हूं, लोकसभा की यह कमेटी बनाते और राज्य सभा के सदस्यों को उसमें जाने के लिये कहते कि आज सरकारी कामों में लगे हुए छोटे कर्मचारी और बड़े से बड़े अफसर की सहूलियत, तनख्वाह, भत्ते आदि में कितने का फर्क होना चाहिये उस पर विचार करें, यदि उस पर विचार करने का समय हो, तो मैं उसमें बैठने के लिये तैयार हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : राजनारायण जी, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह मोशन इसलिये है कि यह विषय कमेटी के पास भेजा जाय या नहीं, तो अगर कमेटी के पास भेजने के खिलाफ हैं तो बोलिये, मेरिट्स पर इस समय डिसकशन करना ठीक नहीं होगा ।

श्री राजनारायण : मैं तो समझता था कि इस चेयर पर बैठ कर के आप इतने सुशोभित और इतने जानकार हो जाते हैं कि हमारे कहने के पहले ही आप समझ लेते है कि हम इसके विरोधी हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : तो ऐसा कहिये कि विरोध करता हूं । मेरिट्स में क्यों जा रहे हैं ।

श्री राजनारायण : हमारा सीधा वाक्य यही है कि अगर कमेटी ऐसी बने कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी, तृतीय श्रेणी क कर्मचारी और प्रथम श्रेणी के कर्मचारी की तनख्वाहें और भत्ते आदि में कितने का अनुपात होना चाहिये, 1 और 3 का हो, 1 और 4 का हो, 1 और 10 का हो,

क्या हो, तो हम उसके लिये बैठने को तैयार हैं मगर संसद के सदस्यों को जो पहले ही से काफी सुविधा मिली हुई है उस सुविधा को और बढ़ाने के लिये ऐसे समय में सोचना जब कि हमारी औसत आय गिरती जाती हो, इसको मैं अपराध मानता हूं, मैं इसको पाप मानता हूं, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज संसद सदस्यों को इस पर बैठ कर के एक मिनिट बर्बाद करने की कोई आवश्यकता और जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं कि वह इस पर समय बर्बाद करें और कमेटी में बैठें और इस पर सोचें और विचार विचारें।

हां, एक दिन आ सकता है जब कि हमारी हालत खुशहाल हो। हमारी हालात का मतलब क्या ? आज हमारे देश में 51 करोड़ की आबादी है। 51 करोड़ की आबादी में श्रीमन्, 30 करोड़ जनता ऐसी है जिसकी औसत आमदनी 3 आना प्रति दिन फी आदमी है और इसी देश में ऐसे भी लोग कुछ हैं जिनकी रोजाना 3 लाख रु० पारिवारिक औसत आमदनी है, जैसा कि कल मैं ने बताया उत्तर प्रदेश के मामले पर इसकी चर्चा होती तो उत्तर प्रदेश में, वहां से श्रीमन् आप भी आते हो, एक चौकीदार आज भी 5 रु० महीने पाता है और उसी उत्तर प्रदेश के आई० जी० के ऊपर 5000 रु० खर्चा हो रहा है, यानी हजार गुने का फर्क, वहां 5 रु० चौकीदार पाता है और कहां 5,000 रु० कुल मिलाकर आई०जी० पाता है। क्या आज हमारे मित्र श्री राम सुभग सिंह जो समाजवादी होने का दावा करते हैं, आज कांग्रेस के अंदर एक समाजवादी पक्ष अलग करने पर प्रयत्नशील रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं किस दिमाग की कैफियत का फल है, नतीजा है जो इस प्रकार के विधेयक पर यहां चर्चा करने की जरूरत महसूस हुई ? हमने कल आंकड़े दिये कि पूंजीपति देश जिनकी हम अक्सर निंदा करते हैं वहां क्या स्थिति है। आज सबसे धनी मुल्क कुवैत है। कुवैत में आज की आदमी की आमदनी 18,000 रु० सालाना है, अमरीका में 22,000 रु० सालाना है। इसी सदन में चर्चा हुई कि अमरीकी राष्ट्रपति पर आज जहां दस हजार, बारह हजार रोजाना का खर्च पड़ रहा है वहां भारत के प्रधान मंत्री के ऊपर सारा खर्चा जोड़ा जाय तो करीब 20,000 रुपये का आज रोजाना खर्चा हो रहा है। तो आज भारतवर्ष आ किधर रहा है। जो ट्रेजरी बेन्च के लोग वहां पर बैठे हुए हैं मैं उनसे निहायत अदब के साथ पूछना चाहता हूं: उनका समाजवाद कहां है, उनका समाजवाद समता में है या उनका समाजवाद विषमता को बढ़ाने में है। आज जिस मनोवृत्ति ने, जिस दिमाग ने ऐसे विधेयक पर इस सदन के समय को खर्च करवाया है, मैं सफाई से कहना चाहूंगा, वह दिमाग किसी नरककुंड के गंदे कीड़े के द्वारा चलाया गया है, चलती बन गया है, जिससे कोई अच्छी बात संभव नहीं हो सकती है। मैं अपने मित्र...

संसदीय-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : आपकी पार्टी के सदस्यों ने भी तो माना है।

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): It is the unanimous Resolution of the Lok Sabha including the Members of your respected party.

श्री राजनारायण : मैं इस समय राज्य सभा का सदस्य हूं, राज्य सभा की चर्चा में मैं बोल रहा हूं। हम कोई प्रकाश इस समय लोक सभा से लेने वाले नहीं हैं। वह प्रकाश हमारे अंदर से आ रहा है। यह हमारे मित्र अकबर अली खां साहब ऐसा तर्क पेश करेंगे, इसको जानते हुए मैंने कल इसी सदन में इस बात को कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में 1964 में जब वहां की विधान सभा के सदस्यों की तनख्वाह और महंगाई इयोढ़ा की गई तब मैंने पल पन्द्रह दिन की भूख हड़ताल की। इसी लोक सभा में रघुनाथ सिंह का प्रस्ताव आया, जब मैं अनशन कर रहा था, तो सैकड़ों लोग हमारे पास आए और कहने

[श्री राजनारायण]

लगे उसी वाराणसी से आप भी आते हो उसी वाराणसी से रघुनाथ सिंह आते हैं वह पार्लियामेन्ट में प्रस्ताव पेश किये हुए हैं कि संसद सदस्यों की तनख्वाह 400 से 500 और भत्ता 21 से 31 हो जाय तो हमने उनको जवाब दिया था कि यह एक ही जल है, उसी जल से जोंक भी पैदा होती है उसी जल से जलज, कमल, भी पैदा होता है . . .

एक माननीय सदस्य : तो आप कमल हैं?

श्री राजनारायण : हां हम कमल हैं, श्री रघुनाथ जी जोंक हैं। कमल का फूल कभी कभी समय के मुताबिक घटता बढ़ता है। मुझे दुख है और मैं चाहूंगा भाई राम सुभग सिंह सरीखे लोग जिनके प्रति हमको कुछ आस्था है और मैं समझता हूं वह कांग्रेस के रहते हुए कभी कभी अधूरे रूप में. . .

श्री निरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश) : अपने मित्र श्री राजनारायण से मैं एक बात कहना चाहता हूं। वह बहुत अब तक समाजवाद की बात कर रहे हैं। उन्होंने यह बताया कि पन्द्रह दिन की भूख हड़ताल की, जो बिल आया उसका विरोध भी किया, तो क्या वह पुराने बिल के अनुसार ही अपना वेतन भत्ता ले रहे हैं या नये बिल के अनुसार सुधरे हुए हिसाब से ले रहे हैं ?

श्री राजनारायण : श्री निरंजन जी वर्मा को मैं बताना चाहता हूं कि यदि इसके लिये कोई स्टडी सर्किल पर बैठते तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि यह युटोपिया है। हम स्वप्नवादी समाजवाद नहीं है, हम वैज्ञानिक समाजवाद हैं, हम तार्किक समाजवाद हैं, हम समय की गति से, दूरी की गति से, वस्तुस्थिति की गति से प्रभावित होते हैं और उसको प्रभावित करते हैं। हमारे पास माइन्ड है, हम सचेत हैं, हम कोई ब्लाइंड फोर्स नहीं हैं, अंधी शक्ति नहीं है जिसको. . .

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : समय के लिये भी सचेत हो जाइये।

श्री राजनारायण : मैं यह कहना चाहता हूं कि आप आज भी कोई कमेटी बना दीजिए अपने बहुमत के अदर लेकिन उस कमेटी में हम अपने दल की तरह से विचार रखना चाहेंगे क्योंकि हमारे दल के नेता गोडे मुराहरि हैं जो यह बतायेंगे कि हमारा क्या रवैया है। यह वह खुद जायेंगे या किसी को भेजेंगे। अगर हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे दल का भी कोई जाय तो जो बात हम यहां कह रहे हैं उसी बात को और दृढ़ता के साथ कमेटी में जाकर कहें।

उत्तर प्रदेश में जब जमींदारी खत्म होने लगी तो हमने पहले सपोर्ट किया। उन्होंने कहा नीचे का मामला है, उसका भी विरोध करोगे क्या ? लगातार यह प्रश्न हुआ है, निरंजन वर्मा जी कि अगर आप समाजवादी कहते हो, दौलत को बांटना चाहते हो तो पहले अपनी दौलत की बांट आप करो।

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : राजनारायणजी आपको मालूम है समय भी बंट चुका है। तो आप अपनी पार्टी के समय के अनुसार चलें।

श्री राजनारायण : इस समय हमारी पार्टी का कोई समय है क्या ? इस समय इस सदन का समय है। इस समय पार्टी का समय नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : राजनारायण जी, जब तक आप अपने ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगायेंगे तब तक काम नहीं चल सकता।

श्री राजनारायण : जो इस सदन में केवल मौलिक प्रश्नों पर विचार करता है, लगातार चेयर उसको टोकेगा, मैं इस नतीजे पर धीरे धीरे पहुंच रहा हूं। चाहे दूसरे लोग खड़े होकर 45 मिनट बोल लें, आधा घंटा बोल लें, उनके लिये चेयर नहीं कहेगा। मौलिक प्रश्न है, हम कहते हैं इस मौलिक प्रश्न को चेयर भी समझ ले ताकि चेयर आज जिस दल से संबंधित है, और अभी

संसद् में वह गरिमा, वह महिमा नहीं हुई है कि जो चेयर में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दूसरे लोग बैठें वह दल से अपने संबंध को अलग करके बैठें । इसलिये में निवेदन करूंगा इस समय जो चेयर पर बैठे हुए हैं, भार्गवजी उनसे, कि आप भी हमारी बात को थोड़ा सुनें ध्यान से और इसको जब पार्टी के सदस्य की हैसियत से देखें तो हमारे ऊपर कृपा करके, देश के ऊपर कृपा करके, देखें । थोड़ा सा जो भूपेश गुप्त जी ने सुझाव दिया, अब मैं उसकी तरफ आ रहा हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : कुछ बत इये कितना टाइम आप लेना चाहते हैं। कहीं तो कुछ प्रतिबंध लगाना पड़ेगा ।

श्री राजनारायण : तो आप समझ लीजिए 6 पर बात आते सुई खत्म हो जायेगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : आपको पांच मिनट और दिये जायेंगे ।

श्री राजनारायण : 5 पर सुई आते बात खत्म ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : नहीं, 5 मिनट और देता हूं ।

श्री राजनारायण : तो 5 हमारा ही मान लीजिए । मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि जब तक औसत आमदनी है, जब तक जो तीस करोड़ आदमियों की आमदनी है जो आज तीन आना पा रहा है, चार आना पा रहा है, वह 8 आना तक कम से कम न आ जाये तब तक संसद के सदस्यों को विशेष सुविधा हर्गिज नहीं मिलनी चाहिये । मैं तो चाहता हूं भाई राम सुभग सिंह हमारे ऊपर अनुकम्पा करें और एक ऐसी कमेटी बनायें जिस कमेटी पर मैं बैठूं और देखूं कि आज दुनिया के किसी मुल्क में जाइये, यहां नौकरशाही जिस विलासिता के साथ, जिस ऐश व इशरत के साथ हो रही उतना किसी कोने में नहीं हो रहा है । इसलिये नौकरशाही में कमिश्नर कि कलेक्टर को, सेक्रेटरीज को, और दूसरे बड़े बड़े अधिकारियों को आज सहूलियत है उसको घटाया जाय, उस को घटा कर जो छोटे हैं, जो नीचे के कर्मचारी हैं, उनके वेतन में जोड़ा जाय, उसको बढ़ाया जाय, किसी भी स्थिति में आज एक कानून बना दिया जाय कि जब चौकीदार 5 रु० महीने में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकता है तो बड़े से बड़े आई०जी० को 50 रु० महीने से ज्यादा नहीं मिलना चाहिये । जब तक आपका नुक्तेनजर नहीं बदलेगा तब तक यह देश बनने वाला नहीं है । हमारा सारा कुठाराघात इस मनोवृति की तरफ जा रहा है कि जिसको कानून बनाने का हक है वह अपने लिये सहूलियतें बनाने का कानून बना रहा है और दूसरों की उपेक्षा कर रहा है । देख क्या रहे हो, मुल्क कहां जा रहा है, ख़याल तक नहीं करोगे अभी कि नीचे वाले कहां हैं? इसलिये आज बड़े बड़े आफिसरान इस मुल्क के नीचे के लोगों का ख़याल नहीं करते, उनकी ओर देखते तक नहीं । आज उनको कोई तकलीफ नहीं है चाहे 7 रु० किलो चीनी बिके चाहे 5 रु० किलो । अगर श्री राम सुभग सिंह की धर्मपत्नी को चीनी ख़रीदने में दिक्कत होगी तो वह उनसे कहेंगी अरे भाई राम सुभगुआ तू क्या कर रहा है' हमको तो चीनी नहीं मिल रही है । आज श्री राम सुभग सिंह जी की हैसियत ऐसी है कि अगर वे चाहें तो 10 रुपया किलो भी चीनी खरीद सकते हैं और उनकी घर की गृहणी को इस बारे में कोई असर पड़ने वाला नहीं है तो जो हरिजन हैं, गरीब हैं, मेहनतकश हैं, उनके घर में जो परेशानी है उस परेशानी को श्री राम सुभग सिंह जी नहीं समझ पा रहे हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : ये बड़े जमींदार हैं और उनकी जमींदारी हमारे जिले में है और हम उनकी प्रजा रह चुके हैं । केवल यहां पर ये समझाने के लिए इस तरह की बातें कह रहे हैं जबकि वे खुद बड़े जमींदार हैं ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं आपके

द्वारा भाई राम सुभग सिंह जी को पूरा अधिकार देता हूं कि वे हमारे घर चले जांय और मैं समझता हूं कि आजादी आने के पहले हमारी जो हैसियत थी, आज उससे घटी है या बढ़ी है, वह इस बात को अच्छी तरह से देख सकते हैं। आज हमारी हैसियत घटी है। आजादी आने के पहले भाई राम सुभग सिंह जी के जिले में जो हमको चावल और घी मिलता था, वह भी अब नहीं मिलता है । 300 एकड़ की जमीन थी, आज किस की हिम्मत है कि इतनी जमीन किसानों में बांट दे। हमारा ध्येय यह है कि जो टिलर आफ दी सायल है, उसके पास जमीन जानी चाहिये और इसीलिए हमने जमीन बांट दी है। भाई राम सुभग सिंह जी हमारे घर पर जा सकते हैं। अगर वे मिनिस्टर की हैसियत से गांव में जायेंगे तो वहां की गरीब जनता डरेगी, लेकिन अगर वे बड़े आदमियों के वहां जायेंगे तो उनकी इज्जत होगी। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज यह क्या हो रहा है, उसके बारे में हमें एक मिनट के लिए सोचना चाहिए। इस विधेयक में एक कमेटी बनाने के बारे में चर्चा है। मेरा ध्यान दूसरी ओर खींच लिया गया था इसलिए मैं अपने प्वाइन्ट को भूल गया था ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : दो मिनट और हैं।

श्री राजनारायण : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मान लीजिये हवाई जहाज की गुंजाइश बढ़ेगी तो इससे खर्च का भार बढ़ेगा। अगर स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट की गुंजाइश, तो उससे भी खर्चे में भार बढ़ने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे दर्द को भाई राम सुभग सिंह जी समझें और उस दर्द को समझकर इस विधेयक में संशोधन करके परिमार्जन करें। हंसें नहीं। यह हंसी की चीज नहीं है, यह रोने की चीज है। यह रोने की चीज है क्योंकि हम उस राज्य से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, जहां पर गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बहराइच, बस्ती, बनारस का पूर्वी इलाका है। इन जगहों पर लोगों को रोटी अच्छी तरह से खाने को नहीं मिल पाती है। यहां पर मां ने अपने बच्चे का कत्ल किया है यहां पर एक हरिजन परिवार ने अपने तीन बेटों को जहर देकर मार डाला है क्योंकि वह उनको खाने की सहूलियत नहीं दे सका था। जिस देश में मां अपने बच्चों को गिरवी रखती है, जहां पर बाप अपने बच्चों को अच्छी तरह से रोटी मयस्सर नहीं कर सकता है, जिस देश में गरीब जनता की अंतड़ियां तिलमिला जाती हैं, उस देश में वृद्धि की बात करना महा पाप है। इसलिए इस कमेटी की तरह एक ऐसी कमेटी बनाना चाहता हूं जो सारे देश को आर्थिक ढांचे पर विचार करे। जो दौलत पैदा करने वाले हैं वे 8 अगस्त 1942 का प्रस्ताव देखें जिसमें लिखा है ।

The State must necessarily belong to the producing masses—workers in field and factory.

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : राजनारायण जी, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री राजनारायण : जो मजदूर और किसान-लोग खेतों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, क्या आज हम उनके लिए काम कर रहे हैं, क्या आज हम उनके फायदे की बात सोच रहे हैं ? इसलिए मैं भाई राम सुभग से कहना चाहता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री राजनारायण : इस तरह से आप बीच में बोलते रहेंगे तो हमारा समय कम नहीं होगा। जब आप इस तरह से बीच में बोलेंगे तो हमारा समय भी बढ़ जायेगा। लेनिन कहता है कि एक और एक सही तीन बटा चार में फर्क है। गांधी जी ने कहा है, 46 आर्टिकल है, कि राज्यपालों को 500 से ज्यादा रुपया नहीं लेना चाहिये। गांधी जी ने कहा है कि अगर इतना रुपया भारत के एक प्रधान मंत्री पर खर्च होता है तो अच्छा

भगवान ऐसे प्रधान मंत्री से हमारा पिंड छुड़वाये । जिस गांधी जी के नाम पर यह कांग्रेस सरकार आज यहां पर बैठी है, आज उसी के नाम पर वह इतना खर्चा, सहूलियत और सुविधा चाहती है इनडायरेक्टली । इसलिए इस विधेयक का घोर विरोधी हूं । मैं चाहता हूं कि सदन के सम्मानित सदस्य उस कमेटी में जांय और ऐसी कमेटी बनायें जिस कमेटी में बैठकर सारे आर्थिक ढांचे के बारे में विचार हो । जिनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, उनका पैसा ले लिया जाय और किसी भी कीमत पर 1500 रुपया महीने से कोई ज्यादा खर्चा करने न पावे? इससे ज्यादा कोई आमदनी न करे । इस तरह की कमेटी बनाई जानी चाहिये भाई राम सुभग जी ताकि वह सारे आर्थिक ढांचे के बारे में मालूम करे । भाई धारिया भी इस कमेटी में जांय और इन सारी बातों के बारे में देखें । इसलिए इस विधेयक का घोर विरोधी हूं ।

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA (Bihar): Mr. Vice-Chairman, Sir, I have listened to the speeches of my esteemed friend, Shri Bhupesh Gupta, as well as of my esteemed friend, Shri Rajnarainji. I would like, to assure Shri Rajnarainji that I share very much what he expressed yesterday and today, and in this subject I am nearer Rajnarainji than Shri Bhupesh Gupta. Sir, I have been a Member of Parliament since 1950. The emoluments, salary and everything have undergone certain changes. We used to get Rs. 40/- a day when I was in the Provincial Parliament. Then it was changed to Rs. 400'/- per month and Rs. 21/- per day. Then it was changed to Rs. 500i/- per month and Rs. 31/- per day. Now that this Resolution is there.'Sir, I am in favour of this Resolution, but, Sir, I would like to say and emphasise to those Members who are going there—because we must give them guidelines; whenever a committee is appointed, they should read the speeches delivered in Parliament—in this connection that they shou'd kindly also read the speeches delivered here up to 2.30 P.M. and see what the Members of this Rajya Sabha have to say about this subject, and I would like to say that, whatever they decide, must be commensurate with the economic situation in the country., And we the representatives of the people, we should earn the goodwill of the people, Sir, not their ill-will. They should not ieel that we are grabbers of money. They should feel that we have come here to sacrifice.

Sir, when I was a little boy of fourteen I also joined the freedom movement. We all joined and faced the bullets of the British. It was the faith of Gandhiji or Jawaharlalji in Bharat Mata, in the future of the country. Then the country became free and we are now Members of Parliament getting Rs. 500/. per month. We had never dreamt of our position being as it is now when we were going about from one place to another in those days of freedom struggle and facing the police who were charging us with bayonets in their hands. Now we are quite safe here. We speak whatever we like and do whatever we like. Even so, Sir. we have to be very humble, we have to be very considerate. I know the difficulties of Members of Parliament; I know their difficulties because they have to maintain two houses, one here and the other at their headquarters. Whenever I happen to remain here I live in a very economical manner and I keep only one servant for as long as I live here in the Goverment flat during each session of Parliament. Recently there was theft in my house here when it was under lock and key and I was no longer here. Now, if I keep someboay here throughout the year to guard the house and my belongings therein, I shall have to pay the house rent plus the man's salary and other things. As for Patna, fortunately for me my brothers and others are there and I live there at their cost.

So, Sir, there are many difficulties for Members of Parliament. They have to maintain two households. What is true for me, a single man, a

[Shri Awadheshwar Prasad Sinha] . widower, or what is true for my I friend, Mr. Bhupesh Gupta, an unmarried gentleman, is not true for everybody. So we have to consider that also. To say that Rs. 2001- per month for a stenographer and Rs. 100 or something else for correspondence and so on, the district magistrate trying to get conveyance for us for a week at least in a month, all these appear to me fantastic demands on the exchequer of the country.. Of course, certain difficulties are there which must be looked into and certain changes are needed. We know that a Government servant gets, say, Rs. 500|/- a month. We get our salaries and allowances and recently we got a circular to say that this will not be salary but an income from other sources. Now we should keep ourselves to the level if not of the lowest paid, at least to the level, more or less, of the Government servant getting Rs. 500|/- a month. There are difficulties, as I said. We get our telephones and we do require this telephones facility in order to carry on our work as Members of Parliament and for our public work. We require them here as also at our own places. I have a telephone at Patna and today it is a white elephant for me and I have to pay for 3,600 calls. If an Under Secretary has a phone all the calls there are free. He can have any number of calls. This year, in spite of my frugal ways, I have to pay for 3.66 more calls than those 3,600 calls. These ar$_e$ the difficulties, no doubt. But about in. crements in our salary and daily allowances and so on—and this is my personal view—these should not be given. We would look very cheap before the eye of the country.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): So you agree with me.

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA: About stenographers I do not agree with Mr. Bhupesh Gupta that each group should be given a stenographer. In the Rajya Sabha we know that as it is we have one Hindi typist and one English typist. There should be more typists provided for the use of the Members. There should be 5 and 10 of them and" they should not be given groupwise and they should belong to th$_e$ Rajya Sabha.

As for air travel expenses I think Shri Rajnarain has not understood Mr. Bhupesh Gupta. When we go by air, he says we should pay the difference. If I go by train I do not pay anything and so the Railways suffer a loss. If I go by air and.. .

SHRI BIREN ROY (West Bengal): The Railways do not lose. The Government pays them.

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA: You are not speaking. I am.

SHRI BIREN ROY: I am not speaking.

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA: Then why are you interrupting? Suppose I go by train from here to Patna. The ticket costs Rs. 90 and I just show this card and travel. But if I go by plane I show the card and pay Rs. 110|/- which is the difference and Mr. Gupta says.. .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): You should certify when you go and give them that certificate. Only the showing of the card will not do.

SHRI BHUPESH GUPTA: The hon. Member has not...

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA: I am supporting your point.

SHRI BHUPESH GUPTA: I am only trying to correct you and...

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA: You will correct me and thus take two hours. I am not yielding.

SHRI BHUPESH GUPTA: The hon. Member does not seem to know that the Government pays the Railways against the travel that We make.

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA: I am going to say the same thing. The difficulty with my hon. friend is that he would not listen. If I go to Patna I show this card and go. But if I go by plane a certain amount is deducted. The Airline is a Govern-

ment undertaking and the Railways are also a Government undertaking and so Shri Rajnarain says the Government suffers financially. That is not the point. I am with Mr. Gupta on this matte, and I say that the old facilities should be extended and we will not stand to lose.

Over the other matters you can decide on whatever salary you may like. But I say that we should look to the 50 crores of our people who are looking at the 700 odd Members of Parliament and seeing in what way they behave when our own interests are concerned. That is the crucial issue before us. For us who are old associates or followers of Gandhiji, there is also a spiritual side to it. Gandhiji asked us to identify ourselves with the masses. Though we may not be able to do that to the fullest extent we should try to approximate to it. In view of all this my position will be somewhere in between the position taken up by Shri Bhupesh Gupta and the one taken up by Shri Rajnarain. On principle Shri Rajnarain is correct. But practical realities of life have to be faced and so we have to go some steps towards Shri Gupta's position. In between the two we should come to a decision: But the main criterion should be that we earn the goodwill of the people. Mr. Gupta has said that he has to pay Rs. 400/- to the party. But that is a personal matter. We have not come here to raise money from the exchequer for our parties through our salaries and allowances and emoluments. So that point is irrelevant. Of course I know Shri Bhupesh Gupta has made great sacrifices. He has given everything to the party. I know all that. But that is no criterion for determining what allowances and salaries Members of Parliament should get. The only criterion should be that we should identify ourselves with the masses. We are not a super class and we should earn their goodwill by our decision. If we do not earn their goodwill and if the people feel that we want some financial and other benefits which we do not deserve, then we divorce ourselves and cut ourselves adrift from the masses and from the goodwill of the people and as representatives of the people we should not do that. This is my appeal to my colleagues and also my request to the proposed Committee which is going to be appointed. They should keep this in view before they decide on any change whatsoever.

SHRI BHUPESH GUPTA: I fully agree.

SHRI AWADHESRWAR PRASAD SINHA: We always agree.

SHRI BHUPESH GUPTA; The only thing is I do not like my stenographer to be appointed by Mr. Chavan.

श्री राजनारायण : श्रीमन् मैं इस मौके पर एक संशोधन देना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : आप लिख करके भेजिये, फि हम देखेंगे कि क्या करना है ।

श्री अवधेश्वर प्रसाद सिंह : जब आप बोल चुके हैं तो संशोधन कैसे आयेगा . . .

श्री राजनारायण : श्रीमन्, हमारा यह संशोधन है कि इसमें जहां पर "केवल संसद् सदस्यों" है उसके आगे इतना बढ़ा दिया जाय . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : आप लिख करके भेजिये, मैं देखूंगा। ओरल संशोधन नहीं हो सकता है ।

श्री नारायण राव कृष्णराव (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी इस विषय पर प्रमुख भाषण हुए हैं। प्रारम्भ में जिस समय यह प्रकरण विचारार्थ सामने आया था तो इस प्रकार की भावना थी कि केवल एक ज्वाइन्ट कमेटी के लिए नाम दे दिये जायें और उसके सामने पूरा विचार करके बिल के रूप में दोनों सदनों के सामने एक प्रकरण आये और फिर उस पर पूरी तरह से विचार हो। परन्तु चूंकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कल भी इस विषय के लिए समय दिया और आज भी इसके लिये डेढ़ घंटे

[श्री नारायण राव कृष्णराव]

का समय निर्धारित किया गया है, इसलिये मैं भी आपके माध्यम से कुछ निवेदन करना चाहता हूं जिससे यह कमेटी उस पर विचार कर सके ।

मैं भी किसी समय इसी विचार का था कि किसी भी प्रकार का कोई भत्ता सदस्यों को लेना नहीं चाहिये और प्रारम्भिक दिनों में जब मैं एक कारपोरेशन का सदस्य था तो लगभग छः वर्ष तक औरों ने भत्ता भले ही लिया हो लेकिन मैंने भत्ता नहीं लिया। उसके उपरान्त जब एक समय वहां के महापौर के भत्ते के बारे सुझाव आया तो हमने उसका उसी प्रकार से विरोध किया जिस प्रकार से आज यहां इसका विरोध हो रहा है । इतना ही नहीं वैधानिक तरीके से हाई कोर्ट में रिट हमने दायर किया और हाई कोर्ट का हमारे पक्ष मे निर्णय हुआ। इस प्रकार से मेयर को भत्ता बढ़ाने का कोई अधिकार उस समय नहीं था । परन्तु कुछ दिनों के बाद मध्य प्रदेश शासन ने एक कानून विधान सभा में पारित कर दिया और उसमें जिन्होंने भत्ता लिया नहीं था उनको भत्ता मिलने के लिए कहा गया और जिन्होंने गलत तरीके से भत्ता लिया था उसको वापस करने के लिये कहा गया। उसके लिए हमने पत्र लिखा कि उसमें ऐसा संशोधन कर दिया जाये कि जिन सदस्यों ने जो भत्ता नहीं लिया है वह सारा भत्ता डिफेंस के लिए हम देने को तैयार हैं, मगर उसका कोई उत्तर आज तक प्राप्त नहीं हुआ । मैं अब यह अनुभव करने लगा हूं कि कोई व्यवहारिक मार्ग ढूंढ कर निकालना आवश्यक है । केवल यह कह देना कि तीन आने प्रतिदिन, चूंकि भारत के प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी है उस हिसाब से व्यवस्था की जाय तो वह बड़ा कठिन सा प्रश्न होगा । मैं देखता हूं कि केवल एक समय के भोजन के लिए तीन रुपया एक व्यक्ति के लिए लगता है। दोनों समय भोजन, रहना और इस सारी व्यवस्था को देखते हुए तीन आना दिया जाय तो क्या बनेगा मेरी समझ में नहीं आता । इसी प्रकार से जो आज पार्लियामेंट में प्रेक्टिस है, भिन्न-भिन्न दलों के रूप में सब लोग काम करते हैं, उन दलों की कुछ आवश्यकताएं होती हैं—माननीय सदस्यों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अलावा—उनपर विचार करना व्यावहारिक दृष्टि से बहुत आवश्यक है । केवल तर्क के लिए तर्क दिया जाए तो उससे आपको लाभ होने वाला नहीं है ।

जहां तक भत्ते बढ़ाने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि इसके दो विभाग कर लिए जांय एक डेली एलाउन्स और मन्थली एलाउन्स और दूसरा फेसिलिटीज और एमेनिटीज । इन दोनों को एक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता । जहां तक भत्ते बढ़ाने का सवाल है, पेंशन देने वाली बात है, वह बात किसी प्रकार से उचित नहीं बताई जा सकती । पेंशन वाली बात इसलिए गलत हो जायगी क्योंकि वह कुछ लोगों का वेस्टेड इन्टरेस्ट हो जायगा, वह अच्छी बात नहीं होगी । जो तनख्वाह दी जाती है—उसे उपवेतन समझिये —उसमें कोई वृद्धि करने का कारण नजर नहीं आता । मैं जानता हूं कि ऐसे-ऐसे महानुभाव यहां बैठे हैं जिनके लिए यहां की तनख्वाह उनकी मूल आमदनी का एक बटा दस हिस्सा नहीं होगा, उससे कम हो सकता है । उनके लिए तो वह विशेष प्रश्न नहीं है, परन्तु जो मिनिमम आवश्यकता है लिविंग के लिए उसको स्वीकार करना चाहिये, बाकी को स्वीकार करने की बात नहीं है । आज जो ५०० रुपया महीना और 31 रुपया भत्ता है उसको मान लेना चाहिये । यह मिनिमम से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता ।

जो बाकी फेसिलिटीज हैं उनके बारे में बड़ी गम्भीरता से विचार करने की बात है । उदाहरण के लिए रेलवे के बारे में सुझाव दिया गया है कि रेलवे का पास दिया जाता है, उसके बाद अगर कोई दूसरे से ट्रेवल करना चाहे, एक्सकंडीशन से ट्रेवल करना चाहे तो उसका अन्तर दे दे, इसको

सुविधा होना अत्यन्त आवश्यक है । इस संबंध में और ज्यादा दलील देने की आवश्यकता नहीं है । जैसा कि आदरणीय भूपेश जी ने बताया कि दूर स्थानों पर जाना होता है, तो इनको सहूलियत जरूर मिलनी चाहिए । सार्वजनिक कामों में हमारे माननीय सदस्य लगे हुए हैं, उनका समय ट्रेन में कम से कम व्यतीत हो, यह एक बड़ी अच्छी बात होगी ।

इसी प्रकार से जो स्टेनो की सुविधा है उसके बारे में एक सुझाव माननीय सदस्य ने रखा है कि कोई पूल बना लिया जाय । मेरा निवेदन है कि इसके दो अंग हैं । जहां तक पार्टी वर्क का संबंध है, राज्य सभा के अन्दर ही काम करते हों तो हो सकता है पूल के द्वारा अन्यथा दिल्ली जैसे शहर में राज्य सभा के सदन के पास सब लोगों को निवास स्थान मिलना सम्भव नहीं है और अधिकतर काम सदस्यों को राज्य सभा के सदन के बाहर अपने-अपने स्थानों पर करना पड़ता है । वस्तुतः रात के समय, एकान्त समय में जब अनडिस्टर्बड रहते हैं तब काम हो सकता है । इसलिए यह कहां तक प्रेक्टीकल है इस पर विचार कर लिया जाय । मैं इस बात को स्वीकर करता हूं कि इनको ज्यादा तादाद में पत्र आते हैं, टेलीग्राम रहते हैं कि उनका समय पर उत्तर देना आवश्यक है, पार्लियामेंटरी वर्क के लिए उनकी मांग किया जाना आवश्यक है, ये सारी बातें स्वीकार की जा रही हैं । मेरी समझ में यह नहीं आता कि पूल से कैसे काम हो सकता है । अगर पूल बनाया जायगा तो मेरी समझ में उससे काम नहीं होगा । इसके बारे में जो आवश्यकता समझी जाय उस हिसाब से रखा जाय, इस दृष्टि से इस पर विचार किया जाना चाहिए । डिटेल में मैं कोई निर्णय नहीं करता, एक पूल की बात थी, उसके बारे में अपना विचार आपके सामने रख दिया ।

इसी तरह से टेलीफोन और टेलीग्राम्स के बारे में कुछ सुझाव हैं, उनके बारे में भी विचार किया जाना चाहिए । पार्टी का जो काम करने वाले लोग हैं उनको अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में टेलीग्राम देने पड़ते हैं । पर्सनल टेलीग्राम के लिए बिलकुल मनाही कर देनी चाहिए लेकिन जो गवर्नमेंट को टेलीग्राम देने पड़ते हैं, इस प्रकार के जो कार्य हैं जिनके लिए बड़ी-बड़ी लम्बी बातें लिखनी पड़ती हैं उसके लिए कुछ कन्सेशन कर दें । कैश न दें लेकिन इस प्रकार का कन्सेशन कर दिया जाय कि जो प्रेस रिपोर्टर्स के लिए दर होती है उसी तरह के रेट्स ऐसे टेलीग्राम के लिए कर दीजिए तो मैं समझता हूं कि उतनी सुविधा भी पर्याप्त हो जायगी ।

ट्रन्क काल बिल्स के बारे में एक सुझाव इसमें है । उसमें एक शंका यह प्रगट की गई है कि अगर इस प्रकार की सुविधा दे दी गई तो उसका दुरुपयोग होगा । माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह बात बड़ी गम्भीर है कि ऐसी धारणा बने कि जो सुविधा दी जा रही है उसका दुरुपयोग किया जायगा । दुरुपयोग किया जायगा, इस धारणा से वह सुविधा न दी जाय तो वह उचित नहीं रहेगा । अगर वह वास्तविक आवश्यकता है तो उस पर विचार करना चाहिए । उसके बारे में चेक्स के बारे में विचार किया जा सकता है । केवल दुरुपयोग हो सकता है इस विचार से न देना उचित नहीं । उदाहरण के लिए मैंने सुना था कि माननीय सदस्य दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कुछ उप-भाड़ेदार रख लेते थे । इस तरह की बात सुनने में आई थी जो दुर्भाग्य-पूर्ण बात है । वह हर सुविधा से जोड़ी जा सकती है । उसके संबंध में अधिक से अधिक चेक रखे जा सकते हैं, सख्त से सख्त सजा दी जाय चाहे उसको डिसमेंम्बर भी किया जाय, उसमें आपत्ति नहीं होगी, लेकिन सिर्फ इस कारण से सुविधा न दी जाय, यह बात समझ में नहीं आती । मेरा निवेदन है कि जब यह कमेटी के सामने जाय तो माननीय सदस्य इसके बारे में और विस्तार से विचार करें ।

[श्री नारायण राव कुण्णराव]

एक और सुझाव है कि जो फेमिली के मेम्बर हैं उनके लिए भी कोई सुविधा देनी चाहिए, पी० टी० ओ० दिए जांय, इसका भी इसमें सुझाव है। नियमों से मुझे यह जानकारी मिली है कि जो माननीय सदस्य सदन में आता है उसको रेलवे पास के अतिरिक्त एक फर्स्ट क्लास और एक थर्ड क्लास का किराया दिया जाता है । इसका उद्देश्य क्या है ? उद्देश्य मैं समझता हूं, यही है कि वह अपनी फेमिली में से एक सदस्य को ला सके और आवश्यकता हो तो वह अपना एक नौकर भी ला सके । मेरी नम्र सम्मति के अनुसार यह उसके पीछे भावना दिखाई देती है । यदि माननीय सदस्यों को 15 दिन या उससे अधिक समय तक रहना है तो उनके कुटुम्ब के सदस्यों को लाने की सुविधा, मैं समझता हूं, आवश्यक है अन्यथा उसके कारण अनेक बार इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है कि गलत तरीके से भी पैसेंजर्स इधर से उधर आते हैं ।

इस संबंध में मेरा एक ही निवेदन है कि इन सारी बातों पर व्यावहारिक रूप से विचार किया जाय, केवल आशावादी पद्धति से काम नहीं हो सकता । इसी प्रकार पार्टी की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कोई अच्छा उनके लिए बैठने का स्थान सदन के आस पास कार्यालय के लिए हो सके, वहां पर टाइप की व्यवस्था हो, प्रतियां, कागज वगैरह उनको समय से मिल सकें । यह व्यवस्था ग्रुप फंक्शनिंग, पार्टी फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है उसका प्रबंध करना अत्यन्त आवश्यक है । मेरा कहना है कि पार्टी आफिस के लिए कोई अच्छे स्थान का प्रबंध हो। ये सारी बातें पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग के लिए जरूरी हैं, उन पर व्यावहारिक रूप से विचार किया जाय, उनको कमेटी ध्यान में रखे, यही मेरा निवेदन है ।

DR. (MRS.) MANGLADEVI TAL-WAR (Rajasthan): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support this motion. I want that this should be passed in this House; I do not agree with the hon. Members who say that it should be withdrawn Sir, times have changed; they are fast changing. Now we are living in a jet age and Members of Parliament who are the representatives of the people have also be more effective. There are two aspects of the functions of Mem. bers of Parliament. One is their function as the representative of the people and of course the other is their function as individuals who draw and spend their salary and allowances. To be able to be more effective as Members of Parliament, as representatives of the people, there is no doubt that they should have more facilities to function; for instance, assistance of an office, of a typist or stenographer, etc. I do not want to go into details because all this would be discussed later on both in the Committee and in the Parliament. There is no doubt that there is need for mobility. They have to travel not only to their States, but to other parts of the country also. As our hon. friend, Shri Bhupesh Gupta, pointed out, it takes a long time to reach some of these places. It takes about a week to go and come back. It is a long time. All these things have to be considered. To make them more mobile, more effective, some facilities are required. The other point is when they go to their respective places or when they go to fulfil some functions, they have to be mobile there also. It is no use going and sitting in a room. That will to help us or the people. All these aspects must be considered. Therefore, there is a great need to consider carefully the genuine needs of the MPs, what they should have, how they should function and how best they can do it. Of course, we have to keep in mind the expenses that the exchequer would have to bear. It should not increase too much.

As the previous speakers have pointed out, Members of Parliament have also to keep a certain status. They are not all like Mr. Bhupesh Gupta, who has chosen to remain a bachelor and therefore, his responsibilities are less as compared to others.

SHRI BHUPESH GUPTA: That is a matter of opinion. How do I know it?

SHRI CHITTA BASU: (West Bengal): Our responsibilities are more.

SHRI M. M. DHARIA (Maharashtra): Bachelor' responsibilities are not more, but their expenses are more.

(Interruptions)

DR. (MRS.) MANGLADEVI TAL-WAR: What I want to say is this. There are those who have families to look after, who have children to raise, They have to be educated. They have to be given a balanced diet. After all, the children of MPs are also the children of the nation and, therefore, you cannot ignore them. As the previous speaker pointed out, we have to live in Delhi, where the expenses are definitely higher than in other places. They have to keep two establishments and all these things have to be considered in a genuine way. Our difficulties have to be assessed. I am not of opinion that the emoluments of MPs should be raised, that MPs should live in a luxurious way. No. We should live a very simple life. We should dedicate ourselves to the service of the nation.

With these few words I feel there is a great need to reconsider all these points and we must come to a conclusion which will be in the interests of the nation as well as of the MPs, so that they can function more effectively as representatives of the people. I have already said that we must have honesty and integrity. Ugly allegations are made against MPs that they try to earn money this or that way. We should not give any chance for that. Therefore, their genuine difficulties have to be considered and I support this motion. There is a great need for it.

SHRI M. R. VENKATA RAMAN (Madras): Mr. Vice-Chairman, I only want to go on record as expressing my opposition to a measure such as this which is now being discussed. I am not very much aware of what all strains and expenses and other things which hon. Members have mind here. I am a new Member, but even so my work has demanded my keeping in close touch with what has been going on either in the Rajya Sabha or the Lok Sabha. If we really feel that we are part of our people and functioning in probably one of the highest representative institutions *of* our people, I do not think such a measure should come forward at all now. Already I think, from what I remember, over Rs. 1-5 crores are the bill of expense which Parliament has to incur annually, about Rs. 58 lakhs for the Rajya Sabha and about a crores or so for the Lok Sabha. Now, asking for further amenities which would mean more by way of monetary emoluments, really I am not able to understand at all. Anyway I find that this proposal is to go to a Joint Committee and I thought that my views and those of my Party should be expressed here once again reiterating our objection. Also, when it comes to be discussed in the House again, I shall reiterate my objection.

SHRI M. M. DHARIA: Mr. Vice-Chairman, though I agree with Mr. Rajnarain That it is a matter of principle, I differ from the views expressed by him. I do agree that it is a matter of principle and in this country of ours we have to maintain good democratic traditions. If these traditions' are to be maintained and if better traditions are to be created, care shall have to be taken of those who are the instruments of these democratic institutions. In order to maintain the dignity of Members of Parliament, there is no doubt whatsoever that several facilities are absolutely necessary. I would appeal to the Members, who are opposed to this motion, net to make this a political issue. Here we know from own exprience that there are several things which are needed and from that point of view I do support the views expressed by my colleague, Mr. Bhupesh Gupta. Our salaries may not be increased. I do share the view that in this country the difference between the rich and

[Shri M. M. Dharia.] the poor is too high. Curbs shall have to be put on those whose incomes ai$_e$ fabulous. Today in the morning there was~a question regarding the resignation of High Court Judges. Why are they not satisfied? It is because even retired ICS officers, after their service is over, get *Rv.* 10,000 per month tax-free.

SHRI P. C. MITRA (Bihar): Per ye ar?

SHRI M. M. DHARIA: I stand by what I have said. They get Rs. 10.000 p^r month tax-free.

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh): Who receives it?

SHRI M. M. DHARIA: Some ICS officers who were in Government service.

PANDIT S. S. N. TANKHA (Uttar Pradesh): Only ICS officers?

SHRI M. M. DHARIA: Please do not take my time. Some other officers also, those who are in these high posts and those who have given all possible facilities to these big monopolists, enjoy all these facilities. My point is that it is because of that a new society has emerged during the last twenty years who live like Rulers; the original previous Rulers, those who could fabulously lead their lives. They have brought about this sort of atmosphere in this country whereby a High Court 2 P. M. Judge also feels that he should get more. So I do agree with Shri Rsjnarain that a curb should be put on the incomes of individuals, but that should not debar the Members of Parliament from having some facilities. In that context I feel thr.t in this country when we see the danger of the economic power of the monopolists who are operating all their levers to have power in their own hands, if those levers are not to be allowed to be operated, then Members of Parliament should be in a position to lead a life of their own and on their own, and from that point of view I feel that various facilities shall have to be given.

So far as air travel is concerned, I feel that once in fifteen days a Member should be allowed to go to his constituency. If he leaves Delhi, he should not be given any daily allowance here because he is ou; of Delhi, but if he has to keep in touch with his constituency, there is no other alternative but that he should be allowed to go there once in fifteen days.

So far as trunk calls are concerned, Mr. Bhupesh Gupta felt that this iacility may be abused. I may appeal that at least twice a week a Member should be allowed to have contact on trunk call with his constituency or with his town wherever he resides. I need not go on speaking with anybody, as Mr.Bhupesh Gupta said yesterday.. .

SHRI BHUPESH GUPTA: During the day or during the night, and the duration of the talk is very important.

SHRI M. M. DHARIA: I feel he should be given six minutes' time twice a week, and that much facility regarding trunk calls should be given.

So far as local calls are concerned we have to pay much more because of various responsibilities. It should be at least 25 local calls per day.

So far as providing stenographers is concerned, there are those who write to several Ministers, to several officers, to their own colleagues and to their own contituency. There are several matters which cannot be dictated in public. Besides, there is also the question of confidence, as was proposed by Mr. Bhupesh Gupta. In that light I should feel that a stenographer should be provided to a Member of Parliament. Of course it should be left to the Member himself. If a Member is not in need of a full-time stenographer, if a part-time stenographer is provided or if one stenographer works for three or four Members, I have no objection. That should be according to the work of the particular Member. So, we should get that facility.

Transport facilities particularly in Delhi are also abscrluiely necessary Some reasonable charge should be taken but transport facilities should be provided.

Regarding touring the whole coun-*ry* by air and paying the fare difference, I will not go into all these suggestions; however, I do feel that instead of making the issue a political issue, let us take into consideration the genuine difficulties in the interests of the country. If we want to serve the country better, if we want to do justice to this parliamentary institution, the required and necessary facilities shall have to be given and from that point of view examination by a Committee of Members of Parliament of all the needs becomes absolutely necessary, and therefore I do stand by this motion moved by the lion. Minister.

SHRI CHITTA BAS'U: Mr. Vice-Chairman, I do not find any necessity for constituting a Committee to go into the matter as to whether the privileges, in monetary terms or otherwise, are to be revised. So far as salaries and emoluments are concerned, I am definitely of the opinion that as representatives of the people the salaries and emoluments that we get are adequate. Not only that I do not find any reason why a Member who is not present in the House and is aissent for long 14 days should be entitled to draw the D.A. I am one of those who really feel that it is a premium on dishonesty. We are sent here to discharge certain responsibilities not to the House but to the country. By discharging our responsibilities in this House we are discharging our responsibilities to our electors.- But we are absent constantly for fourteen days and we are also entitled to draw the D.A. for the long fourteen days. I think if any privileges are to be revised, this is to be revised in that direction.

Again if you permit me to say, I lave heard many complaints about the misuse of privilees by the Members of Parliament particularly with regard to the houses. Houses are rented away. I have got no particular Member in my mind but houses are rented away to other people and at a higher rate than the rate we are required to pay to the Government. I think this is misuse of the privilege. -

SHRI DAHYABHAT V. PATEL (Gujarat): Don't you think you are contradicting yourself? Does not that prove that Members of Parliament are in need of more amenities?

SHRI CHITTA BASU: As I told you earlier, as for myself, I do not feel that I require more money to discharge my responsibilities in this House. The money which I get by way of emoluments and salary, the free travel and all those things, they are more than adequate to discharge my responsibilities here.

Again if you permit me to raise this, complaints are also heard as regards the misuse of cars, small cars alloted to the Members of Parliament. These do not speak well or befit the prestige and dignity associated with the Members of Parliament.

Therefore, in order to look into these matters a Committee may be set up and some administrative matters may be taken up so that these things are not misused. If Government are serious about a Committee of this nature, the Committee may look into such matters as I have referred to.

Again I want to drawn your attention other relevant fact We, the Members of Parliament, are taken to constitute a privileged class. There are other Legislatures also in the country. There are State Legislatures. The very moment there is a Committee set up here to revise the privileges or to raise the salaries and emoluments, those people who are working at the State leavel are a^o discharging their reponsibilities to t.heir constituencies. Is it not just for them to demand more privileges or demand higher salaries or more privileges to work for the satisfaction of their eidolons?

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: In Calcutta particularly protection from 'gharaos' is necessary.

SHRI CHITTA BASU: If the question of increase of DA. of the Central Government employees comes in, the hon. Minister will be coming forward with the argument with one of the arguments, that if the DA. is increased in the case of the Central Government employees, that will have some repercussion on the State Government employees.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRl M. P. BHARGAVA): Be brief. There are two more Members to speak.

SHRI CHITTA BASU: If this question is at all considered, I think it shouM be considered in the context of the privileges and other facilities which may be required or demanded by the Legislators of the States because I do not want that the Members of Parliament should constitute a privileged class of citizens in the country. We have been chosen by our electors to do certain jobs for them and therefore my submission is this.. .

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: To do it efficiently. How can you do it efficiently as at present?

SHRI CHITTA BASU: We can do it without more increased salaries. My feeling is this. We cannot discharge our responsibilities in a better way because of other reasons. The reason is not that we are nut adequately paid, the reason is not that we do not enjoy certain more privileges. The other reason, far as I am concerned, is that I feel that rre are impediments in the discharge of responsibilities in this House. Therefore, my suggestion to the hon. Minister is that at the present moment, in view of the appalling poverty of the people at large whom we claim to represent, there should not be any question of revising or of increasing the monetary emoluments and salaries of Members of Parliament; rather, the question of the right of drawing the daily allowance without being present in the House has to be considered so that it may be cancelled.

Again, with regard to the misuse of privileges, this Committee should also have a look into them.

PROF. SHANTILAL KOTHARI (Rajasthan): • We are discussing the issue which is in the nature of things very embarrassing to all of us our own amenities. As political leadership would demand, we should not ignore the realities and sentimentalise the political issues or the political being of the society just in the manner in which we please the people at popular meetings. I have in view two things which I would like to submit. We are going to think in terms of new politics now emerging in this country on the basis of what is happening today. I am just referring to some realities. I' am not talking of those who are saintly politicians, I am not talking of those who are individually very austere politicians, I am just talking of the average politicians in Parliament or in the Assemblies because it is the averageness which determines political quality and political action. Is it not a fact that it i_s not possible for us to discharge our responsibilities more efficiently without some more amenities in fact we are discussing only amenities, we are not discussing privileges—to aid and facilitate our activities? Is it not fact that most of the Members of Parliament—-if I am wrong, I stand corrected—particularly look forward to hospitality ourside their places wherever they go? Is it not that hospitality then tied with a sense of obligation and ultimately and invisibly controls you as a remote conerol does as far as power structure is concerned? Does not that hospitality vitiate your judgment or put on you some sort of gratification sense. Even within political parties— I may be excused to say this—the uneven resources of comrades bring in uneven contributions and they do not, some time, not always, have equality? But a person who has enough resources he can pressure rut another colleague within the party— leave aside Parliament where it is

more possible—in political functions? Therefore. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Mr. Kothari, you have finished your wanted time.

PROF. SHANTILAL KOTHARI: I will finish in two minutes.

I would certainly say that in the coming politics, we would experience more intensely interplay of the pressure groups, vested interests. Soon pressure lobbies would be coming up. Anybody who is acquainted such as Mr. Bhupesh Gupta would know better about the 19th century parliamentary functioning in the United Kingdom or the 20th centure functioning of the Senate in the United 3-tates of America and would know iiow much financial power has controlled actually public decisions and decision-making processes of the highest political bodies. I do not say what ought to be done. I agree with you. But what are the realities? We have to see them today. Now, take into account the exact fact that a Member of Parliament will have to be provided with amenities so that he can compete in qualitative contribution rather than competing in pressure tactics with the help of a third person or group outside on fraternity. The three of them today are...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): I am sorry. You vill have to wind up.

PROF. SHANTILAL KOTHARI: Therefore. Mr. Vice-Chairman, we Vave to take into account the realities which are facing us and the new factors which are emerging in politics md I think Members will agree with 'hose who are asking for these amenities for the Members of Parliament and the Legislative Assemblies in the States.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Mr. Prem Manohar, your party's time is over. However, I am prepared to allow you two minutes.

श्री **प्रेम मनोहर** (उत्तर प्रदेश) : उप सभाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम जिस समाज के नेता हैं तो वास्तविक नेता किस बात के है। नेता ज्यादा एमेनिटीज लेने के लिए नहीं आये हैं। हम लोग जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके लिए हम यहाँ पर आये हैं, उस समाज से हमारी स्थिति 99 प्रतिशत अच्छी है। यह तो एक बात है।

दूसरा उदाहरण मैं यह देना चाहता हूं कि अभी पिछले समय यू० पी० में एजीटेशन हुआ था सरकारी कर्मचारियों का। उसके पीछे एक ही बात थी और वह यह थी कि जो टाप के आई० पी० एस०, आई० ए० एस० और आई० सी० एस० आफिसर थे उन्होंने तो अपने इमाल्युमेंट्स बढ़ा दिये थे और जो नीचे का स्टाफ था उनकी रीजनेबल डिमान्ड को ठुकरा दिया। सबसे बड़ा कारण असंतोष का यही था।

जैसा कि अभी हमारे एक मित्र ने भोजन के संबंध में और सब चीजों के संबंध में कहा तो उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमको जो टोटल इमाल्युमेंटस मिलते हैं उसमें ही एडजस्ट कर लेना चाहिए। जो कमेटी बैठे उस कमेटी को यह ध्यान रखना चाहिये कि आजकल एम० पीज० को जो टोटल इमाल्युमेंटस मिल रहे हैं उससे ज्यादा न मिलने पावें। हाँ वह इस बात को कर सकती है कि कहीं पर किसी चीज पर ज्यादा कर दे और कहीं किसी चीज पर कम कर दे। अगर किसी चीज पर दो रुपया खर्च होता है तो उसको वह तीन रुपया कर सकती है और जहाँ किसी चीज पर तीन रुपया खर्चा होता है वहाँ उसको दो रुपया कर सकती है। इस तरह से एडजस्टमेंट करके सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं।

अब मैं खाने के संबंध में कहना चाहता हूं। एम० पीज० का जो होस्टल है उसमें तीन

[श्री प्रेम मनोहर]

रूपये को खाना मिलता है। इसमें तीन सब्जी मिलती है और रोटी मिलती है। हमारे देश में औसत आदमी को तीन सब्जी जब खाने को नहीं मिलती हैं तो हमें केवल एक ही सब्जी लेकर संतोष करना चाहिये। जब तक पूरे समाज को तीन सब्जी खाने को नहीं मिलती हैं तब तक हमको भी एक ही सब्जी खानी चाहिये और साथ में रोटी। अगर एक सब्जी और रोटी एक रुपये में मिल जाती है, सवा रुपये में मिल जाती है तो ठीक है।

इसके साथ ही मैं एक छोटी सी कहावत कहना चाहता हूं —

The foundation of the nation lies on the smiling faces of the idealists.

वास्तव में हम लोग एक आदर्श के रूप में यहां पर हैं और आज तक सारे भारतवर्ष में आदर्शवाद की पूजा होती रही है। एमेनिटीज और देशभक्ती से कोई संबंध नहीं है और देश प्रेम और एमेनिटीज से कोई संबंध नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि हमें सरकार ने जो एयर कन्डीशन्ड हाउस दिया है अगर हम इस हाउस के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हैं, अगर हम यहां पर खड़े होकर लड़ते हैं, सदन का समय ठीक तरह से उपयोग नहीं करते हैं, तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम एयर कंडीशन्ड हाउस में बैठें। अगर हम सच्चाई के साथ अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं तो फिर यह एयर कंडीशन बेकार है।

इसके साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम जो नेता बन जाते हैं, एम० पी० बन जाते हैं, एम० एल० ए० बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, जनता हम लोगों को आदर्शवाद के रूप में लेती है मगर उनमें यह भावना घर करती जा रही है कि हम लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं और समाज का कुछ काम नहीं करते हैं। वास्तविकता यह है कि हमें अपने सामने एक आदर्श रखना चाहिये और आदर्शवाद का जीवन व्यतीत करना चाहिये। इसलिए मैं इस जोशन का विरोध करता हूं। लेकिन जहां तक अमैनिटीज का सवाल है उसमें रद्दोबदल की जा सकती है इधर उधर खर्च में कमी और बढ़ोत्तरी की जा सकती है। मगर जो साल में हमें रुपया मिलता है अगर 1200 रुपया मिलता है उतना ही मिलना चाहिये 1201 नहीं होना चाहिये।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, हमको एक छोटा सा निवेदन करना है। मैं यह चाहता हूं कि श्री राम सुभग सिंह जी का जो प्रस्ताव है "यह सभा लोक सभा की सिफारिश से सहमति प्रकट करती है..." इसमें संसद् सदस्यों के आगे निम्नलिखित शब्द जोड़ा जाय : "तथा मंत्रियों, सरकारी सेवाओं में लगे अफसरों, कर्मचारियों"। इसके आगे "वेतन, भत्तों और अन्य सुख सुविधाओं के मामले में प्रदान करने के प्रश्न पर...." तो प्रदान करने के आगे निम्नलिखित जोड़ा जाय : "तथा उनमें अनुपात निश्चित करने" ये शब्द जोड़ दिये जांय। ताकि राज्य कर्मचारियों, मंत्रियों और विधायकों के वेतनों में एक चार और एक तीन का रेशियो रहे।

मैं यह इस लिए कह रहा हूं कि हमारे मित्र...

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव): अब आप तशरीफ रखिये।

श्री राजनारायण : मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि अगर हमारे मित्र राम सुभग सिंह जी समाज देश में बनाना चाहते हैं तो संतति, सम्पत्ति के मोहबन्धन से मुक्त हो कर वे कोई आज समाज बना सकते हैं। संतति, सम्पत्ति को बढ़ावा कर के समाज बनाने का कार्य नहीं हो सकता...

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : अब आप कृपा कर के बैठें।

श्री राजनारायण : श्रीमन, मेरा यह निवेदन है. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI 11 P. BHARGAVA): I do not allow the amendment at this stage. You proceed.

DR. RAM SUBHAG SINGH: I am glad, Sir, that you have ruled him out because I do not know what type of *samaj* he wants to make by this amendment. . .

श्री राजनारायण : हिन्दी में बोलिये।

डा० राम सभग सिंह : आप संतति और सम्पत्ति को बिलकुल छोड़ कर के और मोहबन्धन से मुक्त हो कर के किस संसार की रचना करेंगे यह भगवान ही जानता है। तब तो यहां आना भी बेकार है . . .

श्री राजनारायण : जिस संसार की कल्पना गांधी जी ने की थी।

डा० राम सुभग सिंह : यहां पर जो भाषण आप देते हैं संतति और सम्पत्ति को बढ़ाने के निमित अगर आप उसके मोहबन्धन से बिलकुल मुक्त हो जाना चाहते हैं तो मैं यह अनुरोध करूंगा कि कृपा करके भाषण करना कम कर दीजिए। यही एक बड़ी सम्पत्ति और संतति माननीय सदस्य की है और इसी को वे कम कर दें।

एक दूसरा भी विरोध उन्होंने किया है। मैं समझता हूं कि मैं उनके दिल की बात समझने की कोशिश भी करता हूं। उन्होंने पहले कहा कि वे बड़े आदी थे हमारे यहां से चावल और घी लेने के, इस लिए मैं नहीं चाहता कि मैं उन चीजों में जाऊं।

श्री राजनारायण : हम नहीं जाते थे, हमारे पूर्वज। जो व्यवस्था जमींदारी की थी उसकी तह में जाते थे। अच्छा हुआ कि वह खत्म हो गई।

डा० राम सुभग सिंह : मेरा बहुत सारा बोझ श्री मोहन धारिया और श्री शांतिलाल कोठारी ने हलका कर दिया क्योंकि जो तर्कपूर्ण बात उन्होंने रखी उससे यह सिद्ध होता है कि इस की आवश्यकता है। अन्य सभी सदस्यों ने भी जिन्होंने इस बहस मुबाहिसा में भाग लिया, इस बात का उल्लेख किया कि कोई न कोई विशेष कार्रवाई की जाय ताकि दोनों सदनों के सदस्यों को अपना कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने का अवसर मिले। सभी ने यह स्वीकार किया कि कार्यक्षमता बढ़नी चाहिये और अगले दिनों में इसकी आवश्यकता और बढ़ती जायगी कि हमारी कार्यक्षमता बढ़े और उसके लिए उतनी ही विशेष सुविधाएं प्रदान की जायं। यहां कुछ लोगों ने यह प्रश्न उठाया कि सरकारी कर्मचारियों की तुलना में, मंत्रियों की तुलना में, क्लास 3 और 4 के कर्मचारियों की तुलना में कुछ लोगों को ज्यादा वेतन नहीं मिल रहा है। यह बात सही है मगर उसका अवसर दूसरा है क्योंकि मिनिस्टरों के वेतन, सरकारी अफसरों के वेतन अलग अलग कानून से निर्धारित किये गये हैं। मैं स्वागत करूंगा कि कोई भी सदस्य उसके संबंध में बिल लावें, उसको स्वीकृत करावें और सब को एक सूत्र में बांध कर बराबर करवायें और अपने ढंग से जनता को चलाने की कोशिश करें।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, इस कमेटी का टर्म्स आफ रिफ्रेंस क्या है ?

डा० राम सुभग सिंह : वही है जो इसमें लिखा हुआ है।

तो धारिया जी ने और कोठारी जी ने इस संबंध में अपने अकाट्य तर्क दिये उनको मैं स्वीकार करता हूं। भूपेश गुप्त जी ने भी कहा कि हमें कुछ सुविधाओं की आवश्यकता है। उन्होंने सब बातों का विवरण प्रस्तुत किया, स्टेनोग्राफर, हवाई जहाज से आने जाने आदि के संबंध में। वैसे भूपेश गुप्त जी ने एक बड़े

(डा० राम सुभग सिंह)

बंगले में सदा से चले आ रहे हैं क्योंकि वे एक पार्टी के नेता हैं । हम लोग तो छोटे फ्लैट में रहने के आदी हैं । भूपेश जी को और भी सुविधाएं होनी चाहियें । जहां तक बड़ी गाड़ी का संबंध है अगर वे देंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे और जिस दिन वे खींच लेंगे उसी दिन वह खत्म हो जायगी । जब सरकार ने बड़ी गाड़ी दी है तो उसको हम क्या करें । अगर वे चाहें तो ले लें । हम लोग तो ऐसे ही स्टेंडर्ड के आदी हैं ।

भूपेश गुप्त जी जानते हैं कि. . .

SHRI BHUPESH GUPTA: I understand that in a mere Fi'at car it will be difficult for him to travel.

DR. RAM SUBHAG SINGH: I do not believe in that false economy because I have to carry many people, sometimes as many as 15 Members ofl Parliament. If I notice Mr. Bhupesh Gupta on the road, I will carry him. Even on that day I wanted to carry him. If the Government has purchased that car at Government cost, at people's expenditure, do you want that that car should be given away to an officer because you want to 6light the Minister. Perhaps that Is going to be your suggestion.

SHRl BHUPESH GUPTA: Sir, this is not fair. Pandit Jawaharlal Nehru set aside his car. . .

DR. RAM SUBHAG SINGH: lam not going to emulate the hon. Member.

SHRI BHUPESH GUPTA: The Government should not buy such big cars.

DR. RAM SUBHAG SINGH: There I agree.

SHRl BHUPESH GUPTA: You are lucky. You have got a big one also. And you really need a big car. Unfortunately the hon. Minister being what he is, he needs a little bigger car than wh'at we need. It is a physical necessity with him, I agree. Although I say if Mr. Morarji Desai. . .

DR. RAM SUBHAG SINGH: Sur. the standard of Mr. Bhupesh Gupta is much higher as compared to »ur standard because he might be keeping some servants from °ur, area. If he sees anybody of that type comihg, naturally he will spite him. That .) am not going to accept. I will repudiate it then and there.

And, Sir, this is a motion which wife discussed by the Lok Sabha, aa*". 't* stated earlier, and was unanimously adopted including the Members of the S.S.P. and the Communist Party; they all accepted it in this form. Sir, I commend the motion to the House for its acceptance.

THE VICE-CHAIRMAN (SHfej M. P. BHARGAVA): The questfbn **is:—**

"That this House concurs in ^hc recommendation oii the Lok that the Rajya Sabha do join in the Joint Committee of the Houses to consider the question of further amenities and facilities in Hie matter of salary, allowances aq»d other amenities to Members of Parliament and authorises the Chairman to nominate seven members'to serve on the said Joint Committed"

The House divided.

THE VICE-CHAIRMAN (SH3EU M. P. BHARGAVA): Ayes; 72; Notes: 8. 'I

AYES—72

Abdul Samad, Shri A. K. A.
Abraham, Shri P.
Ahmad, Shri Syed.
Annapurna Devi Thimmareddf, Shrimati.
Bhatt, Shri Nand Kishore.
Chandra Shekhar, Shri.
Chavda, Shri K. S.
Chengalvaroyan, Shri T.
Chowdhari, Shri G. L.
Dass, Shri Mahabir.
Desai, Shri Suresh J.

Dharia, Shri M. M.
Gilbert, Shri A. C.
Jairamdas Daulatram, Shri.
Kemparaj, Shri B. T. .
Khan, Shri Akbar Ali.
Kulkarni, Shri A. G.
Kurre, Shri Day'aldas.
Mahanti, Shri B. K.
Mahida, Shri U. N.
Mangladevi Talwar, Dr.
Mani, Shri A. D.
Maniben Vallabhbhai Patel, Kumari.
Mehta, Shri Om.
Mishra, Shri L. N.
Misra, Shri S. D.
Mitra, Shri P. C.
Mohammad, Chaudhary A,
Momin, Shri G. H. Valimohmed.
Muhammad Ishaque, Shri.
Muniswamy, Shri N. R.
Narayanappa, Shri Sanda.
Panda, Shri K. C.
Pande. Shri C. D.
Panijhazari, Sardar Raghbir Singh
Patel, Shri Dahyabhai V.
Patel, Shri Sundar Mani.
Patel, Shri T. K.
Patil, Shri G. R.
Patil, Shri P. S.
Patra. Shri N.
Pitamber Das, Shri.
Prem Manohar, Shri.
Punnaiah, Shri Kota.
Purk'ayastha, Shri M.
Pushpaben Janardanrai Mehta, Shrimati.
Puttappa, Shri Patil. Ramaswamy.
Shri K. S. Ramiah, Dr. K. Reddy,
Shri M. Srinivasa. Reddy, Shri N.
Sri Rama. Roy, Shri Biren.
Ruthn'aswamy, Shri M. Salig Ram, Dr.
Sangma, Shri E. M. Sarojini Krishnarao Babar, Shrimati.
Shanta Vasisht, Kumari. Sharma, Shri Anant Prasad. Sherkh'an, Shri.
Siddalingaya, Shri T. Singh, Dr. Anup.
Sinha, Shri Rajendra Pratap. Tankha,
Pandit S. S. N. Tilak, Shri J. S. Tiwary,
Pt. Bhawaniprasad. Untoo, Shri Gulam Nabi. Up'adhyaya, Shri S. D. Usha Barthakur, shrimati. Vaishampayen, Shri S. K. Varma, Shri Niranjan. Vidyawati Chaturvedi, Shrimati. Yashoda Reddy, Shrimati.

NOES—8

Basu, Shri Chitta. Das, Shri Banka
Behary. Gupta, Shri Balkrishna.
Kesavan (Thazhava), Shri.
Menon. Shri Balachandra.
Murahari, Shri G. Rajnarain, Shri.
Somasundaram, Shri G. P.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN: Now we go to Private Members' Legislative Business.

THE CRIMINAL LAW AMENDMENT (AMENDMENT) BILL, 1968

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend tne Criminal Law Amendment Act, 1332.

The question *was* put *and the motion was adopted.*